सोचें हित किसमें है

एक पक्ष की विजय (जो आपका विपक्षी भी हो सकता है) व दूसरे पक्ष की हार व अपमान (जो आप स्वयं हो सकते हैं।)	या	न किसी की हार न किसी की जीत दोनों के साथ समान न्याय
निर्णय के प्रति उत्सुकता तथा अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव में जीवन जीने में।	या	शांतिपूर्ण ढंग से लोक अदालत द्वारा आपसी सहमति के आधार पर सम्मानजनक निर्णय पाकर तनावमुक्त जीवन जीने में।
वर्षो तक मुकदमें के निर्णय के इन्तजार में।	या	तुरंत आपसी सहमति से मुकदमें के निर्णय में।
हर तारीख पर न्यायालय में हाजिर होकर समय बर्बाद करने में।	या	एक या दो तारीखों कें में निर्णय हो जाने पर मुकदमेंबाजी से छुटकारा पाने में।
आपसी भाईचारा खोकर तनावयुक्त जीवन जीने में।	या	आपसी भाईचारा जागृत कर तनाव रहित जीवन जीने में।

त्वरित एवं निःशुल्क विधिक परामर्श के लिए हर जिला न्यायालय में स्थित 'लीगल एड कम लिट्रेसी क्लीनिक' में सम्पर्क करें।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उप समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद –

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा.....

.. निवासी .....विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियो में आवेदन करता/करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु0 50,000 तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)।
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें)।
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति,
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ,
   - (ग) स्त्री या बालक
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ,
   - (ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीनस्थ सताया हुआ व्यक्ति,
   - (च) औद्योगिक कर्मकार,
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित,
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवाद आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना–पत्र दिया था? यदि हँ तो उसका परिणाम।
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   - (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें,
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय हो ने वाली धनराशि
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि,
   - (5) केवल विधिक परामर्श।

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूरा सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

नाम –

पता –

प्ली बार्गेनिंग

एक नयी शुरूआत

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

तृतीय तल जवाहर भवन एनेक्सी

लखनऊ

☎ **0522-2286260, 2287972, 2286395**

2009

प्ली बार्गेनिंग एक नयी शुरूआत

प्ली बार्गेनिंग - जुलाई 2006 से प्रभावी

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा प्ली बार्गेनिंग पर एक नये अध्याय 21(ए) को शामिल किया गया। ये 05.07.06 से प्रभाव में आया।

प्ली बार्गेनिंग समझौते का एक तरीका है जिसके अन्तर्गत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुये नुकसान और मुकदमें के दौरान हुये खर्चे का क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है।

इसकी मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं:-

प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होता है जिनके लिये कानून में 7 वर्ष से अधिक कैद की सजा का प्राविधान नहीं है।

राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने वाले अपराधों पर और किसी महिला और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किये गये अपराधों पर यह लागू नहीं होता।

किसी किशोर या बच्चे पर यह लागू नहीं होगा जिसे बाल न्याय (बच्चे की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 की धारा (2) के खण्ड (के) में परिभाषित किया गया है।

अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग के लिये आवेदन उसी न्यायालय में दाखिल कर सकता है जिसमें उसके द्वारा किये गये अपराध से संबंधित मुकदमा विचाराधीन है।

प्ली बार्गेनिंग के लिये आवेदन में मुकदमें व अभियुक्त के द्वारा किये गये अपराध से संबंधित तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन होना चाहिए।

प्ली बार्गेनिंग के आवेदन के साथ अभियुक्त का शपथ पत्र भी होगा कि उसने कानून के द्वारा उसके अपराध के लिये दी गयी सजा की प्रकृति एवं समयावधि को समझने के बाद अपनी इच्छा से प्ली बार्गेनिंग का चुनाव किया है और अभियुक्त किसी भी न्यायालय के द्वारा इस अपराध के लिये पहले दोषी नहीं ठहराया गया है।

न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिये कि अभियुक्त ने प्ली बार्गेनिंग को आवेदन अपनी इच्छा से किया है उससे एकांत में पूछताछ करेगा जहां पर दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं होगा।

यदि न्यायालय संतुष्ट है कि यह आवेदन अभियुक्त स्वेच्छा से दाखिल किया है और अभियुक्त इसी अपराध के लिये किसी न्यायालय के द्वारा पहले दोषी नहीं पाया गया है तो न्यायालय लोक-अभियोजक, अभियुक्त एवं शिकायतकर्ता को मुकदमें का आपसी समझौते से निपटारा करने को कहती है जिसमें अभियुक्त के द्वारा पीड़ित को हुये नुकसान और मुकदमें के दौरान हुये खर्चे की क्षतिपूर्ति भी शामिल होती है।

यदि मुकदमें का संतोषजनक हल हो जाता है तो न्यायालय उसकी एक रिर्पोट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और समझौते की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं।

न्यायालय पीड़ित के पक्ष में समझौते के अनुसार निश्चित मुआवजे देने का आदेश देता है और सभी पक्षों की सजा की मात्रा पर सुनवाई करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत न्यायालय अभियुक्त को नेक चलन पर या भर्त्सना करने के पश्चात् या कम सजा पर छोड़ सकता है।

यदि अभियुक्त के द्वारा किये गये अपराध के लिये कानून में न्यूनतम सजा का प्राविधान है तो न्यायालय अभियुक्त को उस न्यूनतम सजा की आधी सजा तक दे सकता है।

यदि अभियुक्त को अच्छे चाल-चलन पर अथवा भर्त्सना के पश्चात् छोड़ा नहीं जा सकता तो न्यायालय अभियुक्त को कानून के द्वारा उसके अपराध के लिये दी गयी अधिकतम सजा की एक चौथाई सजा तक दे सकता है।

प्ली बार्गेनिंग में न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। अपवाद स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका या अनुच्छेद 226 और 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है।

यदि अभियुक्त ने प्ली बार्गेनिंग का आवेदन स्वेच्छा से नहीं किया है या अभियुक्त इस अपराध के लिये किसी न्यायालय के द्वारा पहले दोषी ठहराया गया है या आपसी सहमति से मुकदमे का निपटारा नहीं होता है तो प्ली बार्गेनिंग के आवेदन के लिये दिये गये तथ्य और बयान का इस्तेमाल प्ली बार्गेनिंग के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जाता है।

प्ली बार्गेनिंग के लाभ

यह प्रक्रिया जेलों में बन्द विचाराधीन कैदियों की सहायता करती है जो कि लम्बे समय से जेलों में बन्द हैं। यह प्रक्रिया उनके लिये वरदान है।

यह प्रक्रिया अभियुक्त को सजा के कठोर दण्ड से बचने का अवसर प्रदान करती है।

यह प्रक्रिया जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है और जेलों में भीड़-भाड़ को कम करती हैं।

यह प्रक्रिया अभियुक्त और पीड़ित को लंबे महंगे एवं तकनीकी अदालती प्रक्रिया को सहे बिना जल्दी न्याय दिलवाती है।

यह प्रक्रिया न्यायालयों एवं अभियोजकों को मुकदमें के भार के प्रबंधन में और न्यायालयों के भार को कम करने में सहायता करती है।

यह आपराधिक मुकदमों का कम समय में निपटारा, निश्चित करती है जो कि बहुत समय से विचाराधीन है और आरोपी, पीड़ित एवं गवाहों के उत्पीड़न का कारक है।

इस प्रक्रिया में आपराधिक मुकदमों का निपटारा शीघ्रता से होता है क्योंकि प्ली बार्गेनिंग में न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है और वह निर्णय अंतिम होता है।

यह प्रक्रिया न्यायालयों के समय और विचारण और अपील के साथ हर स्तर पर न्यायाधीशों के काम-काज पर राज्यों की लागत की बचत करती है।

अधिक जानकारी एवं सहायता हेतु सम्पर्क करें :-

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
उच्च न्यायालय, इलाइाबाद।
उच्च न्यायालय विधिक सवा उप समिति उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ।
समस्त जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ
☎ 0522-2286395, 2287972, 2286265
हमारी बेवसाइट - upslsa.up.nic.in

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 1 कानूनी सहायता-12.11.08-(1419))-10,000 प्रतियां-(कम्प्यू० / आफसेट)।